8.1.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत:-

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0-1 से एवं 2 ने प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम रावा की ढाणी भोपतपुरा तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू का निवासी है जिसका आराजी ख0नं0 1736, 1737, 1738, 1751 कुल किता -4 रकबा 3.13 हैक्टर वाके ग्राम लोहरवाड़ा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । तथा ना ही अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार रहा है । गंगाबक्स का अपीलान्ट पौत्र है जिसने अपने आपको गंगाबक्स का पौत्र बताकर यह अपील पेश की है। तथा अपील मीमो के पैरा संख्या -6 में गंगाबक्स का सजरा खानदान अंकित किया है जिसके अन्य सभी वारिसान को अपील में पक्षकार ही नहीं बनाया तथा न ही गंगाबक्स के अन्य वारिसान ने कोई अपील पेश की है । इससे स्पष्ट है कि राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से वर्षों पूर्व दर्ज हुये गंगाबक्स का अपीलान्ट वारिस नहीं है तथा ना ही वारिस होने का उसके पास कोई आधार है । इस कारण जब तक अपीलान्ट अपने आपको गंगाबक्स का पुत्र सक्षम सिविल न्यायालय से वारिस घोषित नहीं करवा लेता तब तक उसे अपील प्रस्तुत करने का लोकस्टण्डाई नहीं है । इस कारण सर्वप्रथम अपीलान्ट की अपील मैन्टेनेबल ही नहीं है । अपीलान्ट ने यह अपील 14 वर्ष बाद पेश की जिसका कोई पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किया तथा न ही अपीलान्ट ने माननीय अदालत हाजा से अपील की ईजाजत प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया । जबकि अदालत मातहत में पक्षकार नहीं होने पर उस व्यक्ति को अपील पेश करने से पूर्व धारा-96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की इजाजत

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	लेना आवश्यक है। अपीलान्ट ने अपील पेश करते समय धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया इस कारण भी अपीलान्ट की अपील मैन्टेनेबल ही नहीं है । राजस्व रेकार्ड में गंगाबक्स पुत्र महाबक्स निवासी परसरामपुरा का नाम गलत दर्ज हुआ है ।अपीलान्ट एवं गंगाबक्स का इस आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है ।इस भूमि से इनका कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है । अपीलान्ट विवादित आराजी से प्रभावित व्यक्ति नहीं है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे । प्रार्थना पत्र पर विद्वान उभयपक्षों की बहस सुनी गई । विद्वान वकील प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट गंगाबक्स का पौत्र बताते हुये यह अपील पेश की है तथा गंगाबक्स के अन्य किसी भी वारिस को अपील में पक्षकार तक नहीं बनाया तथा अपने आपको अपीलान्ट गंगाबक्स का वारिस हो ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है ।अर्थात अपीलान्ट को सिविल न्यायालय से गंगाबक्स का वारिस होने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लेता अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । अपीलान्ट अदालत मातहत में पक्षकार नहीं था । जिसको यह अपील पेश करते समय अपील के साथ धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील पेश करने की इजाजत का पेश करना आवश्यक था जो अपीलान्ट ने यह प्रार्थना पत्र पेश न कर अपील पेश की है। जिससे अपीलान्ट की अपील को दर्ज ही नहीं किया जा सकता ।साथ ही अपीलान्ट ने यह अपील ।4 वर्ष बाद पेश पेश की जिसका कोई पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किया ।	

जिसको पेश करने का कोई अधिकार नहीं है ।अपील मियाद बाहर तथा बिना अधिकार के पेश की है । अतः अपीलान्ट की अपील विधिक आपत्ति पर खारिज की जावे । बहस के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 232, आरआरडी 1990 पेज 689, आर एलडब्लू 2002(राज0) पेज 409, 2015 डीएनजे(2) राज0 हाई कोर्ट पेज 657, 2009-10(एस0सी0) आर आरटी पेज-535, आरआरडी 1998(हाई कोर्ट)(राज0 पेज-639, आरआरटी 2011(1) पेज 614, आरआरटी 2011(2) पेज 851, डीएनजे 2017(1) पेज-1 पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

विद्वान वकील अप्रार्थी/अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । इस कारण अदालत मातहत के आदेश की जानकारी नहीं हो सकी जैसे ही जानकारी हुई यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद में पेश की है । अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया किन्तु अपीलान्ट ने बाद में धारा-96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया जिस पर न्यायहित में विचार किया जावे केवल कानूनी बिन्दू पर अपील का निर्णय न कर गुणावगुण पर निर्णय किया जावे । विवादित आराजी अपीलान्ट के पूर्वज गंगाबक्स की खातेदारी की दर्ज रही है । अपीलान्ट के पूर्वज गंगाबक्स ने ग्राम लोहरवाडा में पुख्ता मकान बनाकर परिवार सहित आवास निवास करते थे जिनकी उक्त आराजी खातेदारी में दर्ज रही है।अपीलान्ट इस आराजी पर एकफसली काश्त करते थे तथा अपने धन्ध के कारण तथा अन्य आराजी ग्राम परसरामपुरा में होने से वो परसरामपुरा में रहने लग गये तथा अपने पूर्वजों की आराजी की सार सम्भाल भी भी करते थे ।विवादित आराजी सम्वत 2053 तक

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पडौसी होने का नाजायज फायदा उठाकर इस आराजी को गलत बयान बाजी कर अपने नाम दर्ज करवाली जबकि यह आराजी रेस्पोडेन्ट की न तो खातेदारी में रही न ही इनका कोई कब्जा रहा है ।विवादित आराजी की खातेदारी अपीलान्ट के पूर्वज के नाम रही है । इस कारण अपील का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न होते कर इसके गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित एवं विधिक है ।बहस के समर्थन में आरएलडब्लू 2014(1) पेज -1 आरएलडब्लू 2014(हाई कोर्ट) पेज-4, आरएलडब्लू 2011(1)राज पेज 262, आरआरटी 2011(1) पेज 498, 506, आर आरडी 1995 पेज-179, आरआरटी 2006(2) पेज 1113 पेश कर प्रार्थना पत्र विधि आपत्ति खारिज कर प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार किया जावे । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का तथा प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत में अपीलान्ट पक्षकार नहीं था । यह अपील अपीलान्ट को धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ ही पेश करनी चाहिये थी । किन्तु अपीलान्ट ने यह अपील बिना प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी के पेश की है तथा अपीलान्ट गंगाबक्स पुत्र महाबक्स जाति भाट का पौत्र बनकर पेश की है । अपील में दर्ज सजरा खानदान के अनुसार अपीलान्ट ने गंगाबक्स के अन्य वारिसों को अपील में पक्षकार नहीं बनाया तथा यह भी अपीलान्ट को साबित करना था कि वह गंगाबक्स का पौत्र है इसके लिये उसे सक्षम सिविल न्यायालय से वारिस घोषित करवाकर ही कानून अपील करनी चाहिये थी ।अपीलान्ट ने धारा	

दिनांक	आज्ञा पत्र	

चाहिये था । जो अपील पेश करने से पूर्व आज्ञापक कानूनी प्रावधान है । अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है वो प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं है ।जमाबन्दी सं0-2046 से 2049, 2054 से 2057 में कौम जाट दर्ज है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 से 2016 में विवादित आराजी की काश्त मंगला पुत्र साधु के नाम दर्ज रही है । इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नही है तथा वह अपील भी धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बिना ही पेश की जबकि अपील प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी के बिना पोषणीय ही नही है जैसा प्रस्तुत नजीरो में स्पष्ट है इसके अलावा अपीलान्ट गंगाबक्स का वारिस है यह भी सक्षम न्यायालय से साबित करवाना होगा इसके बिना भी अपील त्रुटि पूर्ण है तथा गंगाबक्स के अन्य वारिसो को पक्षकार नहीं बनाये जाने का भी कोई कारण दर्ज नहीं किया है ।अतः अपील प्रार्थी/रेस्पो० का प्रार्थना पत्र विधिक आपत्ति स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है ।पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सुनाया गया । 8/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर